न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बर:– 80/2024
निर्णय दिनांक:–18.11.2024
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. रामगोपाल पुत्र मंगला जाति बारागांव ब्राह्मण निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राज0।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रतिवादी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री विरेन्द्र जोशी अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती
निर्णय दिनांक:–18.11.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 290 के आराजी खसरा नम्बर 7301 रकबा 0.5564 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला दूदू में स्थित है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार है जिस पर वादी शांतिपूर्वक काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। उक्त आराजी वादी की पैतृक भूमि है जो पूर्व में वादी के पिता मंगला पुत्र काना के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रही तथा नामान्तकरण संख्या 576 के खसरा नम्बर 7301 में दिनांक 15.06.1965 की जमाबन्दी में मंगला पुत्र काना के नाम से राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर दर्ज रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 576 में गलत इन्द्राज हो जाने से वास्तविक नाम मंगला पुत्र लादू राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए था जरिये विरासतन वादी के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई मजमेआम में जांच नहीं कर राजस्वकार कानूनगों द्वारा वादी के पिता का बोलता नाम मंगला पुत्र काना नाम दर्ज कर दिया गया जबकि वादी के पिता का नाम रिकार्डेड असल नाम मंगला पुत्र लादू है। वादी के पिता सीधा–साधा व्यक्ति होने व राजस्व रिकार्ड में गलत रूप में इन्द्राज हुए अपना बोलता नाम मंगला पुत्र काना की जानकारी नहीं रख सका तथा जिसकी जानकारी वादी के पिता को शुरू से ही नहीं रही है। वादी के पिता का समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, परिवार राशन

लगातार...................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, खाता सं. 286 के विरासत के फौती नामान्तकरण संख्या 1043 सम्वत जमाबन्दी 2072 से 2075 एवं कार्यालय नगरपालिका फागी व अन्य दस्तावेजात में वादी के पिता का नाम मंगला पुत्र लादू सही रूप से दर्ज है। जबकि ग्राम फागी तहसील फागी में मंगला पुत्र काना व मंगला पुत्र लादू एक ही व्यक्ति का नाम है इनके अलावा अन्य कोई इस नाम का व्यक्ति ग्राम फागी तहसील फागी में नहीं है जबकि वादी के पिता का नाम मंगला पुत्र लादू के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, खाता संख्या 286 के विरासत के फौती नामान्तकरण संख्या 1043 सम्वत जमाबन्दी 2072 से 2075 व अन्य दस्तावेजात से पूर्णतया सिद्ध होता है कि वादी के पिता का वास्तविक सही नाम मंगला पुत्र लादू है इसलिए राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के पिता का वास्तविक सही नाम मंगला पुत्र लादू है इसलिए राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के पिता का नाम मंगला पुत्र काना की जगह मंगला पुत्र लादू राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित होगा। वादी ग्रामीण परिवेश का सीधा—सीधा व्यक्ति होने से राजस्व रिकार्ड में बोलते नाम से मंगला पुत्र काना राज कर्मचारियों द्वारा सहवन से गलत नाम दर्ज करने की जानकारी प्रारम्भ से ही नहीं रही है, दिनांक 06.09.2024 को वादी पटवारी हल्का फागी के पास किसान क्रेडिट कार्ड के लिए राजस्व रिकार्ड व जमाबंदी की नकल निकलवाने गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि राजस्व रिकार्ड में आपके पिता का रिकार्डेड नाम मंगला पुत्र लादू के स्थान पर मंगला पुत्र काना नाम दर्ज है। वादी उक्त गलती को दुरूस्त कराने के लिए उसी दिन जब प्रतिवादी के पास गया तो प्रतिवादी ने उसी दिन को ही उक्त गलती को दुरूस्त करने करने से इंकार कर दिया एवं मान्य न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए कहा इसलिए प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद घोषण व दुरूस्त इन्द्राज प्रस्तुत किया जाना लाजमी हुआ है। वादी गरीब, मजदूरी व काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिसकी आजीविका का एकमात्र साधन उक्त आराजी ही है उक्त आराजी की उन्नत व उपजाऊ बनाने हेतु बैंक आदि से ऋण लेने व राजस्थान सरकार से मिलने वाली सुविध लेने हेतु वादी के पिता का नाम खतौनी सं. 290 में मंगला पुत्र काना के स्थान पर मंगला पुत्र लादू दुरूस्त किया जावे जिससे वादी अपने हक में पिता का फौती नामान्तकरण खुलवा सके व आराजी को अधिक उन्नत व उपजाऊ बना सके। उक्त राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज होने के कारण वादी को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है इसे दुरूस्त नहीं किया गया तो वादी के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं वादी को ओर ज्यादा नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। उक्त वाद में प्रतिवादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने से व लैण्ड होल्डर होने के कारण वाद में पक्षकार बनाया गया है एवं उक्त वाद राजस्थान सरकार के विरूद्ध पेश किया गया है। जिसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने

लगातार.......................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला—दूदू

से पूर्व 2 माह कानूनी नोटिस किया जाना आवश्यक है। परन्तु मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त नोटिस की अवधि को वेध वेव फरमाई जाने व न्यायालय की अनुमति से उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी को वाद कारण दिनांक 06.09.2024 को प्रतिवादी द्वारा वादी के पिता का नाम को दुरूस्त करने से इंकार करने एवं मान्य न्यायालय से आदेश लाने का कहने पर उक्त वाद मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। पक्षकार का निवास सीन व विवादग्रस्त आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जवाब मय फर्द मौका रिपोर्ट पेश किया गया एवं अपने जवाब मे बताया कि ग्राम फागी के खाता सं. 290 में भैरू पुत्र छीतर हिस्सा 1/2 व मंगला पुत्र काना हिस्सा 1/2 जाति बारागांव सा. देह दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नामान्तकरण संख्या 576 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नामान्तकरण है जिसमें मंगला पुत्र काना ही दर्ज किया गया था जो वर्तमान जमाबन्दी में बदसतूर चल रहा है। नामान्तकरण सं. 1043 मंगला पुत्र मु. लादू की विरासत दर्ज की गई थी। अन्य दस्तावेज प्रार्थी स्वयं प्रस्तुत करे। यह उल्लेखनीय है कि मंगला के वास्तविक पिता काना है तथा लादू के नाऔलाद फौत होने पर मंगला के नाम नामान्तकरण खोला गया। मंगला पुत्र काना का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नामान्तकरण संख्या 576 के आधार पर दर्ज किया गया था। खतौनी संख्या 290 में मंगला पुत्र काना का नाम नामान्तकरण संख्या 576 के आधार पर दर्ज किया गया था। जो कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नामान्तकरण था। लादू के नाऔलाद फौत होने से उनकी विरासत मंगला के दर्ज को गई थी अतः उक्त मंगला मुताबिक फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार एक ही व्यक्ति है।

संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट मंगला पुत्र काना व मंगला पुत्र लादू की जांच करने ग्राम फागी में मौके पर पहुंची। मौके पर उपस्थित मजमेआम से मंगला पुत्र काना व मंगला पुत्र लादू की जानकारी लेने पर बताया कि काना व लादू दोनों व्यक्ति रिश्तें मे सगे भाई थे। मंगला के वास्तविक पिता काना थे तथा लादू नाऔलाद फौत होने के कारण लादू की पगडी दस्तूर व सामाजिक रिति–रिवाज मंगला के हुई थी। उपस्थित मजमेआम ने बताया कि काना व लादू दोनों व्यक्ति अलग–अलग है। साथ ही मजमेआम ने बताया कि उक्त मंगला नाम एक ही व्यक्ति है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

लगातार.........................4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

(4)

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072 – 2075 वाके ग्राम फागी दक्षिण मे स्थित उक्त विवादग्रस्त आराजी वादी के पिता नाम हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। कार्यालय नगर पालिका फागी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रमाणित किया गया है कि रामगोपाल शर्मा पुत्र मंगला जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू का रहने वाला है। जो कि इनके पिता का नाम मंगला पुत्र लादु एंवं मंगला पुत्र काना यह दोनों नाम एक ही व्यक्ति है। इसको दोनों नामों से जाना जाता है। मै इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जो सही है। तहसीलदार फागी ने भी अपने जबाब व फर्द मौका रिपोर्ट मे मंगला पुत्र काना व मंगला पुत्र लादू दोनो एक ही व्यक्ति होने का कथंन किया है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे न्यायालय वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं0 290 के आराजी खसरा नम्बर 7301 रकबा 0.5564 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला दूदू में स्थित है। उक्त आराजी में वादी के पिता का नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन मंगला पुत्र काना के स्थान पर मंगला पुत्र लादू दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादी के पिता को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

18/11/24
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

रामगोपाल बनाम तहसीलदार
मु0न0:– 80 / 2024
निर्णय दिनांक:– 18.11.2024

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1 रामगोपाल पुत्र मंगला जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राज0

वादी

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रतिवादी

::– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु0न0:– 80 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री विरेन्द्र जोशी हाजिर रूबरू प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 290 के आराजी खसरा नम्बर 7301 रकबा 0.5564 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला दूदू में स्थित है। उक्त आराजी में वादी के पिता का नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन मंगल पुत्र काना के स्थान पर मंगला पुत्र लादू दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादी के पिता को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा।

निज.........X.........मुबलिग.........X.........बाबत.........X.........
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....X.........फीसदी.........X.........
सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ...X......का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.11.2024 को जारी की गई।

दस्तखत......18/11/24......
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा..................
फागी, जिला–दूदू

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबुत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

18/11/24
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू